



भारत का संविधान

[1 अप्रैल, 2019 को यथाविद्यमान]

The Constitution of India

[As on 1st April, 2019]

प्राक्कथन

भारत के संविधान का यह संस्करण, संसद् द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित भारत के संविधान के पाठ को उद्धृत करता है। संसद् द्वारा, संविधान (एक सौ तीनवां संशोधन) अधिनियम, 2019 तक और उसको सम्मिलित करते हुए, किए गए सभी संशोधन, इस संस्करण में सम्मिलित किए गए हैं। पाठ के नीचे दिए गए पाद टिप्पण, संविधान संशोधन अधिनियमों, जिसके द्वारा ऐसे संशोधन किए गए हैं, को उपदर्शित करता है।

संविधान, जम्मू-कश्मीर राज्य को, अनुच्छेद 370 और संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 1954 में यथा उपबंधित कुछ अपवादों और उपांतरणों के साथ लागू होता है। यह आदेश, निर्देश की सुविधा के लिए परिशिष्ट 1 में सम्मिलित किया गया है। अपवादों और उपांतरणों का पुनर्कथन परिशिष्ट 2 में अंतर्विष्ट किया गया है।

संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015, भारत सरकार और बांग्ला देश के मध्य अर्जित किए गए और अंतरित किए गए, राज्यक्षेत्रों के ब्यौरे अंतर्विष्ट करते हुए, परिशिष्ट 5 में सम्मिलित किया गया है।

संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 और संविधान (अठासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 से संबंधित संवैधानिक संशोधनों के पाठ को, जो अभी तक प्रवृत्त नहीं हुए हैं, पाठ में समुचित स्थानों पर, जहां संभव हो या अन्यथा पाद टिप्पण में, उपबंधित किया गया है।

डा. जी. नारायण राजू,
सचिव, भारत सरकार।

नई दिल्ली ;
1 अप्रैल, 2019

दुर्बल वर्ग" वे होंगे, जो राज्य द्वारा कुटुंब की आय और आर्थिक अलाभ के अन्य सूचकों के आधार पर समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं।]

16. लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता—(1) राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी।

(2) राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा।

(3) इस अनुच्छेद की कोई बात संसद् को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो ¹[किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के या उसमें के किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती है।]

(4) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

²[(4क) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में ³[किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर, पारिणामिक ज्येष्ठता सहित, प्रोन्नति के मामलों में] आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।]

⁴[(4ख) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में किन्हीं न भरी गई ऐसी रिक्तियों को, जो खंड (4) या खंड (4क) के अधीन किए गए आरक्षण के लिए किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षित हैं, किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक् वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी और ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिसमें वे भरी जा रही हैं, उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में पचास प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा का अवधारण करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा।]

(5) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई

4. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा "पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के या उसके क्षेत्र में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन उस राज्य के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती हो" के स्थान पर (1-11-1956 से) प्रतिस्थापित।

5. संविधान (सतहतरवां संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 2 द्वारा (17-6-1995 से) अंतःस्थापित।

6. संविधान (पचासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 की धारा 2 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से (17-6-1995 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

7. संविधान (इक्यासीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 की धारा 2 द्वारा (9-6-2000 से) अंतःस्थापित।